फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री शंकरलाल** विपक्षी :– **श्री राज्य**

किस्म मुकदमा :– **विविध आ.9नि.4 जा.दी.** पत्रावली संख्या :– **18/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/110**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.10.2025	

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री पनालाल मारू उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया । बहस अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. पर सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 26/12 प्रार्थना पत्र उनवान शंकरलाल बनाम राज्य का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 15.10.2025 को प्रार्थीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। हम प्रार्थीगण द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है तो किसी भी पक्षकार के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा। इस कारण से मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 26/12 प्रार्थना पत्र उनवान शंकरलाल बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 23.01.2026 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:29:17 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली